संख्या-39/2016/आर-673/26-3-2016-4(56)/96 टी.सी.

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 01-03-2016

विषयः- केन्द्रपुरोनिधानित दशमोत्तर अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2004-05 से वर्ष 2014-15 के मध्य प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष राज्य स्तर पर उपलब्ध धनराशि रूपया-460.56 लाख में से रूपया-400.00 लाख को चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-455/04/ज0जा0वि0/के.पु.दशमोत्तर/2015-16, दिनांक 24.02.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक्विचारोपरान्त अनुदान संख्या-81 के अधीन संचालित **केन्द्र पुरोनिधानित अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत** गत वर्षो 2004-05 से वर्ष 2014-15 के मध्य प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध धनराशि रूपया-460.56 लाख में से रूपया-400.00 लाख को चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आयोजनागत पक्ष में योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त धनराशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि योजनान्तर्गत भारत सरकार से अवशेष केन्द्रांश प्राप्त होने पर उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का समायोजन कर लिया जायेगा। इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत गत वर्ष 2014-15 की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की देयता के भुगतान हेतु किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों/प्रतिबन्धों तथा इस योजना हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष आवंटन व्यय तभी किया जायेगा, जब यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व वर्षों में स्वीकृत की गयी धनराशि का सम्पूर्ण व्यय/उपभोग किया गया हो और कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकखानों/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नहीं है और पूर्व में स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(5) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

--2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान सं0-81 के अंतर्गत मुख्य लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनागत-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-01-दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति (के.100/रा.00-के.)-21-छात्रवृत्तियाँ और छात्रवेतन के नामे" डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च 2015, में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

पृ0संख्या-39/2016/आर-673 (1)/26-3-2016- तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- अवर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, शिक्षा प्रभाग भारत सरकार नई दिल्ली।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, एन0आई0सी0 की एक प्रति।
5- राज्य योजना आयोग-1/2
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- गार्डफाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।